10.06.2025

1172
30/6/25

वकील सायल उपस्थित। गैरसायलान की तलबी हेतु दिनांक 06.05.2025 को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किए गए है। प्रतिवादी संख्या 03 का लिफाफा ''लेने से इंकार किया'' की रिपोर्ट के साथ वापिस प्राप्त हुआ है। गैरसायल संख्या 1 व 2 की रजि0 ए0डी0 अथवा लिफाफा वापिस प्राप्त नही हुआ है। नोटिस जारी किए हुए एक माह से अधिक समय हो चुका है। अतः तामील मानी जाकर आवाज लगवाई गई। गैरसायलान की ओर से कोई उपस्थित नही। अतः गैरसायलान संख्या 01 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थना पत्र पर वकील सायलान को सुना गया। वकील सायलान ने प्रकरण में वर्णित आराजी ख.नं. 988 रकवा 0.2150 है0, 976 रकवा 0.2403 है0 वाके ग्राम रांडौली तहसील मनियां जिला धौलपुर की पत्थरगढी कराये जाने का कथन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2076 के मुताबिक सायलान उक्त आराजी के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। सायलान ने प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार मनियां द्वारा दिनांक 17.05.2023 के मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति पेश की है, जिसके मुताबिक तहसीलदार मनियां द्वारा उपरोक्त आराजी का दिनांक 17.05.2023 को पैमाईश कर निशानात लगाए गए है। गैरसायलान ने कोई जवाबदेही नही की है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी एंव मौका पर्चा तहसीलदार मनियां के आधार पर स्वीकार किया जाकर आराजी ख.नं. 988 रकवा 0.2150 है0, 976 रकवा 0.2403 है0 वाके ग्राम रांडौली तहसील मनियां जिला धौलपुर की नियमानुसार पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार मनियां को आदेश दिए जाते है। परवाना तहसीलदार मनियां को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)